अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

14/11/2023

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आर्बिट्रेशन वाद संख्याः–13/2023

संजीव चौधरी एवं अन्य.....आवेदनकर्त्ता

–बनाम–

राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत आर्बिट्रेशन वाद संजीव चौधरी व राजीव कुमार चौधरी, पिता–स्व0 नवल किशोर चौधरी, सा0–चैनपुर, अंचल–कुमारखंड, जिला–मधेपुरा के द्वारा अररिया–सुपौल नई रेल लाईन परियोजना हेतु उनकी अर्जनाधीन भूमि का स्वरूप "कृषि" निर्धारित किये जाने के विरूद्ध दायर किया गया है :–

भू0अ0 वाद सं0/सं0सं0	मौजा/था ना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा	प्रतिकर की राशि	अभ्युक्ति
01/2022/41	चैनपुर	196	617	0.5203	20,20,194/–	सुबोध चौधरी, पिता– रामानन्द चौधरी, संजीव कुमारी चौधरी व राजीव चौधरी, पिता–नवल किशोर चौधरी

आवेदनकर्त्ता की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल वादपत्र में उनका मूल रूप से कहना है कि भारत सरकार के अररिया–सुपौल नई रेल लाइन परियोजना हेतु अधिग्रहित उपर्युक्त भूमि के संबंध में दिनांक 07.09.2022 को प्रकाशित अधिघोषणा में भूमि का किस्म "कृषि" दर्शाया गया। प्रश्नगत भूमि आवेदकगण के पूर्वज को निबंधित विक्रय पत्र सं0–1408 दिनांक 07.04.1971 नविस्ते बालाजीत मंडल बहक रामानन्द चौधरी वगैरह एवं विक्रय पत्र सं0–1409 दिनांक 07.04.1971 नविस्ते बालाजीत मंडल बहक रामानन्द चौधरी से प्राप्त हुआ था। बिहार सरकार के अंचल सिरिस्ता में जमाबंदी सं0–26 कायम हुआ तथा वे लोग मालगुजारी अदाकर रेन्ट रसीद हासिल करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि के चारों ओर आबादी बस गई तथा आवासीय घर–भवन कायम हो

गया। अर्जनाधीन भूमि सड़क किनारे अवस्थित है, जिस वजह से अब कृषि योग्य नहीं रही। उनके द्वारा बताया गया कि अर्जनाधीन भूमि आवासीय है एवं आवेदकों का उस पर घर-मकान, गोशाला इत्यादि कायम है। MVR के अवलोकन से भी स्पष्ट होगा कि मौजा-चैनपुर, थाना नं0-289 के सड़क किनारे की भूमि को व्यवसायिक श्रेणी का दर्शाया गया है, जिसका न्यूनतम मूल्यांकन 24,000/-रू0 प्रति डिसमिल बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित है। अतएव अर्जनाधीन भूमि कृषि योग्य भूमि नहीं हो सकती है। आवेदकगणों की ओर से दाखिल लिखित बहस में बताया गया है कि विभाग द्वारा प्रकाशित गजट अधिसूचना में अधिग्रहित खेसरा-617 के ठीक सटे दक्षिण खेसरा-519 को आवासीय घोषित किया गया है, जबकि खेसरा-617 को "कृषि" दर्शाया गया है। उनके द्वारा साक्ष्य स्वरूप अधिग्रहित खेसरा 617 तथा 591 का मानचित्र समर्पित करते हुए कहना है कि प्रश्नगत अधिग्रहित भूमि के आसपास के खेसरा का आवासीय श्रेणी में रखते हुए अधिग्रहित किया गया है। आपत्तिकर्ता द्वारा अर्जनाधीन भूमि का छायाचित्र दाखिल किया गया है, जिसमें उनके अनुसार एक जलमीनार परिलक्षित होता है, जो स्पष्ट करता है कि अर्जनाधीन भूमि सघन आबादी के बीच अवस्थित है एवं आपत्तिकर्ता का घर-मकान तथा गोशाला उस पर कायम है। उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदनकर्त्ता द्वारा उनकी अर्जित भूमि आवासीय श्रेणी का घोषित कर विभाग को उचित मुआवजा की राशि अभिनिर्धारित करने का आँदेश देने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भूमि के संबंध में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 179/भू0अ0 दिनांक 10.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्थल निरीक्षण के क्रम में अंचल-कुमारखंड, मौजा-चैनपुर, थाना-289 के खाता नं0-106, खेसरा नं0-591/617 में मुगाय मेहता का रवि मकई का फसल लगा हुआ है, दक्षिण में खेसरा सं0-591 में मकई का फसल, जिसके लगभग 25 मीटर अंश भाग पर उनका घर है। पूरब में भी मकई का फसल तथा पश्चिम में खेसरा नं0-586 में मिर्च का फसल लगा हुआ है। वर्णित खेसरा-617 से लगभग 50 फीट पश्चिम रास्ता है तथा रास्ता के पश्चिम में महेन्द्र मेहता का घर है। प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना नहीं पाया गया। प्रश्नगत खेसरा से 70 मीटर दूर अन्य लोगों का घर मकान है। प्रश्नगत खेसरा में स्थल निरीक्षण के समय मकई एवं मूंग का फसल लगा

हुआ पाया गया। तदालोक में उनके अनुसार छः सदस्यीय समिति द्वारा वादगत खेसरा को "कृषि" श्रेणी में रखा जाना सही प्रतिवेदित किया गया है।

सभी संबंधित पक्ष को सुनने, अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजात/दस्तावेजों के अवलोकनोरान्त यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत खेसरा-617 को अररिया-सुपौल नई रेल लाईन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु समाहर्त्ता, मधेपुरा की अध्यक्षता में छः सदस्यीय समिति द्वारा कृषि श्रेणी में रखा गया। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 179 दिनांक 10.05.2023 से प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना नहीं पाया गया तथा वर्तमान में भी कृषि कार्य किया जा रहा है। तदालोक में आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि का किस्म आवासीय किये जाने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। अतः इस आर्बिट्रेशन वाद को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।